राजस्व अपील संख्या 20/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
श्रीमति आशा पुत्री स्व0 श्री जसाराम पत्नी भगवानदास नायक, निवासी– खारडा रणधीर तहसील व जिला जोधपुर।		1. तुलसीराम पुत्र जसाराम के का0मु0:– 1.1 सुरेन्द्र पुत्र स्व0 तुलसीराम 1.2 प्रेम पुत्र स्व0 तुलसीराम 1.3 दिनेश पुत्र स्व0 तुलसीराम 1.4 मन्जू पुत्री स्व0 तुलसीराम 1.5 सम्पत पुत्री स्व0 तुलसीराम 1.6 श्रीमती दाखू पत्नी श्री तुलसीराम 2. मदनलाल पुत्र स्व0 रावतराम नायक निवासी मारूती कॉलोनी, रातानाडा, जोधपुर 3. श्रीमती प्रेमलता पुत्री स्व0 रावतराम नायक निवासी 160 इन्द्रा कॉलोनी, एयरपोर्ट, जोधपुर 4. श्रीमती मीनादेवी पत्नी स्व0 रावतराम निवासी– 5 जी 84, कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर 5. सुनील पुत्र स्व0 रावतराम निवासी– 5 जी 84, कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर 6. श्रीमती संगीता पुत्री स्व0 रावतराम नायक निवासी– प्लाट संख्या 76, ऑफिसर मैस के सामने, गली नम्बर 01, कैलाश नगर, जोधपुर। 7. श्रीमती सुनीता पुत्री स्व0 रावतराम निवासी– आफरी कैम्पस, झालामण्ड रोड, जोधपुर 8. सुरेश पुत्र स्व0 शंकरलाल 9. आलोक पुत्र स्व0 शंकरलाल 10. श्रीमती पुष्पा उर्फ धनकी पत्नी स्व0 शंकरलाल 11. श्रीमती सपना पुत्री स्व0 शंकरलाल रेस्पो0 संख्या 8 से 11 मार्फत शंकरलाल पूर्व कलेक्टर, मकान नं. सी–179, बजाज कॉलोनी, द्वितीय सेक्टर न्यू राजेन्द्र नगर, पोस्ट रणी ग्राम–रायपुर जिला रायपुर, छत्तीसगढ 12. श्रीमती पिंकी पुत्री स्व. शंकरलाल पत्नी राजेन्द्र कुमार पुत्र किशनाराम सिसोदिया नायक निवासी– मकान नम्बर 177, चम्बल डेयरी के सामने, दादावाडी विस्तार योजना, कोटा 13. श्रीमती नीलम पुत्री स्व0

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

		शंकरलाल पत्नी धनराज सोलंकी नायक निवासी– ए–3 नोजगे स्कूल के पीछे, मानसरोवर कॉलोनी, श्रीगंगानगर। 14. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, जोधपुर। 15. आशापूर्णा बिल्डकॉन लिमिटेड, जोधपुर।

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.02.2019 जो न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर द्वारा रिमाण्ड प्रकरण संख्या 10/2018 बअनवान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर बनाम श्रीमती आशा पुत्र जसाराम माली वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलार्थीया की ओर से ।
2– श्री मंछाराम ताडा, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 के का0मु0 की ओर से।
3– श्री नवीनशर्मा, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2, 3 की ओर से।
4– श्री खालीद अली गौरी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 8 की ओर से।
5– श्री मोहनलाल खत्री, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 12 की ओर से ।
5– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 14 की की ओर से ।
6– श्री सुगनमल परिहार, सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 15 की ओर से।
7– रेस्पो0 संख्या 4 से 7, 9 ता 11, 13 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

निर्णय

दिनांकः 18 नवम्बर,2022

अपीलार्थीया के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 14/2011 अनवान आशा बना तुसलसीराम वगैराह में पारित आदेश दिनांक 28.5.2018 में प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को रिमाण्ड कर ग्राम खारडा रणधीर के ख0सं0 17 रकबा 44 बीघा के स्व0 जस्साराम के समस्त विधिक उत्तराधिकारियों की जॉच कर दोनों पक्षों को समुचित समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया। जिस पर तहसीलदार जोधपुर के द्वारा प्रकरण संख्या 10/2018 सरकार बनाम श्रीमती आशा पुत्री जसाराम वगैराह दर्ज करने के उपरान्त प्रकरण में सुनवाई कर अपने आदेश दिनांक 20.02.2019 के द्वारा ''प्रार्थी का खातेदारी घोषणा का दावा न्यायालय में विचाराधीन होने से न्यायालय के अन्तिम निर्णय तक उक्त नामा0 संख्या 125 को यथावत रखा जाता है तथा प्रार्थी चैनाराम के आवेदन पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी के आवेदन को खारिज कर निर्देशित किया कि प्रार्थी की वसीयत के आधार पर नामा0 की कार्यवाही हेतु पृथक से सक्षम स्तर पर आवेदन करें।'' तहसीलदार जोधपुर के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.02.2019 से व्यथित होर अपीलार्थीया ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पक्षकारो के अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थीया ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि तहसीलदार जोधपुर के द्वारा पूर्ण रूप से गलत, सुस्पष्ट विधि के विपरित

मनमाना व त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है तथा उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के रिमाण्ड आदेश में दिये गये निर्देशों की अवहेलना व अनदेखी कर पारित करने में विधिक त्रुटि की है।

वकील अपीलार्थीया ने कथन किया कि ख0सं0 17 रकबा 44 बीघा भूमि ग्राम खारडा रणधीर तहसील जोधपुर में मृतक खातेदार जसाराम पुत्र नेनाराम का 1/3 हिस्सा का था। खातेदार जसाराम के देहान्त दिनांक 10.7.1989 को हो गया जिस पर नामा0 संख्या 125 दर्ज करते हुए उनके वारिसान रावतराम, शंकरलाल, तुलसीराम तथा जसाराम की विधवा श्रीमती धापू के नाम खोला जाकर दिनांक 6.11.1996 को ग्राम पंचायत फिटकासनी ने स्वीकृत किया जो स्व0 जसाराम के विधिक उत्तराधिकारियों के जॉच किये बिना दर्ज किया जाकर स्वीकृत कर दिया गया जिसके विरूद्ध प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के समक्ष पेश की जिसमें उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.5.18 के द्वारा स्वीकार कर नामा0 संख्या 125 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को मृतक खातेदार जसाराम के समस्त विधिक वारिसान की जॉच कर दोनों पक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर नियमानुसार नामा0 की कार्यवाही करने का आदेश दिया। जिस पर तहसीलदार जोधपुर ने उक्त आदेश की पालना में जसाराम के वारिसान की जॉच करके उनके नाम से विरासत का नामा0 दर्ज करने की कोई कार्यवाही नहीं की तथा मामले से असम्बन्ध आशापूर्णा बिल्डकॉन लिमिटेड जोधपुर को प्रार्थना पत्र लेकर उसको पक्षकार बनाने का आदेश देकर विचिदगिया उत्पन्न करने का काम किया तथा विधि न्याय, नियमों के अनुसार विरासत के नामा0 की कार्यवाही को नियमित वाद के लंबित रहने के आधार पर स्थगित नहीं रखी जा सकती है। फिर भी तहसीलदार जोधपुर ने खातेदारी घोषणा का दावा विचाराधीन होने की आड़ में नामा0 संख्या 125 को यथावत रखने का आदेश पारित कर दिया। ऐसा आदेश पारित करने का उनका कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। ऐसे में अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

वकील अपीलार्थीया ने अपनी बहस मे कथन किया कि रिमाण्ड आदेश में दिनांक 28.5.18 में मृतक खातेदार जसाराम की विधिक वारिसान की जॉच कर नामा0 दर्ज करने का आदेश दिया गया था जिसको किसी भी प्रकार से स्थगित रखने का तहसीलदार को कोई आदेश नहीं था, तहसीलदार जोधपुर को अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की सीमाओं में रहते हुए पालना किया जाना था। इसके अतिरिक्त तहसीलदार ने घोषणा खातेदार व बंटवाडे का वाद विचाराधीन होने से व उसमें स्वामित्व का निर्धारण का अधिकार होने से विरासत के नामा0 कार्यवाही को दावे के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखने में भारी भूल कारित की है जबकि न्याय का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी प्रकार का दावे का विचारण के लम्बित रहने से विरासत के नामा0 की कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती है। तहसीलदार जोधपुर ने आलौच्य नामा0 संख्या 125 के बाद दर्ज किये गये नामा0 संख्या 145, 258, 263, 265, 267, 274, 303, 315, 322 व 323 को प्रभावित होना मानने में भारी भूल की है जबकि नामा0 संख्या 125 अवैध व विधि विरूद्ध है तब उसके पश्चातवृति सभी नामा0 अवैध व विधि विरूद्ध एवं स्वतः ही शून्य रहते है, इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

वकील अपीलार्थीया ने अपनी बहस मे कथन किया कि तहसीलदार जोधपुर ने अपीलार्थीया का शपथपत्र के आधार पर अपने पिता की भूमि पर राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नहीं कराना लिखने में भारी भूल की गई है जबकि अपीलार्थीया वर्ष 2011 से अपने पिता की भूमि पर विरासत का नामा0 दर्ज कराने की अपील आदि की कार्यवाही करती रही है। उक्त तथाकथित स्टाम्प व शपथपत्र मूल तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं हुए व कुटरचित दस्तावेज है जो साक्ष्य में माने जाने योग्य नहीं थे। इसके अतिरिक्त आशापूर्णा बिल्डकॉन लि0 जोधपुर को पक्षकार बनाने का आदेश देने में भी भारी भूल की है क्यों कि विरासत के नामा0 में आशापूर्णा बिल्डकॉ लिमिटेड किसी भी प्रकार से हितबद्ध पक्षकार नहीं हैं। तहसीलदार जोधपुर को आलौच्य नामा0 संख्या 125 दिनांक 6.11.1996 को निरस्त कर नये सिरे से निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया गया था, उसकी पालना में धारा 144 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार उक्त नामा0 पर निरस्त व नोट लगाया जाकर राजस्व रेकर्ड की पूर्व की स्थिति कायम करनी आवश्यक थी, जिस पर तहसीलदार जोधपुर ने कोई कार्यवाही बिना ही उक्त नामा0 को यथावत रखने का गैर कानूनी आदेश पारित किया है जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का होने व त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीया प्रस्तुत करते हुए निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार जोधपुर द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.2.2019 को निरस्त किया जावे एवं मृतक खातेदार स्व0 जसाराम के विरासत के नामा0 में अपीलार्थीया का नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावें। अपीलार्थीया ने अपने कथनों के समर्थन में निर्णय नजीर 2020, आरआरडी 1995, आरआरडी 2002 पेज 10 इत्यादि प्रस्तुत की।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष श्रीमती आशा की ओर से दो शपथ पत्र की प्रतियॉ प्रस्तुत किये गये थे जिसमें उनकी ओर से अपने हक–हिस्से के बाबत मौखिक सहमति से राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया गया और हिस्से के बदले उपहार ले लिये थे और ख0सं0 17 में कोई हक–हिस्सा नहीं होगा अंकित किया था, ऐसे में वह अपना हक–हिस्सा मांगने की अधिकारिणी नहीं थी। इसके अतिरिक्त श्रीमती आशादेवी के द्वारा इसी खसरा से सम्बन्धित बंटवाडा, खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा हेतु एक राजस्व वाद संख्या 240/2012 भी प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। ऐसे में अगर जमाबन्दी में उनका नाम सम्मिलित किया जाता है तो अनावश्यक हस्तक्षेप होगा। उक्त आधार पर अपीलार्थीया की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया कि अपीलार्थीया के द्वारा अपीलाधीन नामा0 संख्या 125 के दिनांक 6.11.1996 को स्वीकृत होने के 14 वर्ष पश्चात प्रथम अपील विलम्ब से पेश की गई थी। अपीलार्थीया एवं रेस्पो0 स्व0 जसाराम के वारिसान है। अपीलार्थीया के द्वारा अपने पिता के जीवनकाल में ही अपने हक–हिस्से के पेटे उपहार इत्यादि ले लिये थे जिसका जिक्र उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में किया हुआ है। वर्तमान में भूमि के बाजार में भाव बढ जाने एवं कीमते बढ जाने के कारण उनके द्वारा अपने भाइयों के नाम दर्ज हुई भूमि में अब हक–हिस्सा प्राप्त करने की कार्यवाही कर उन्हें परेशान किया जा रहा है जबकि उक्त भमियों में से अन्य व्यक्तियों

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

को बेचान भी हो चुका है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थीया की अपील को अस्वीकार किया जावे एवं तहसीलदार जोधपुर के द्वारा पारित आदेश को यथावत बहाल रखा जावें।

रेस्पो0 संख्या 2 व 3, 12 की ओर से यह लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार जोधपुर के समक्ष रिमाण्ड प्रकरण दर्ज होने पर उनकी ओर से अपना लिखित में प्रत्युतर पेश किया जिसमें स्व0 जसाराम के फौतेदगी नामा0 संख्या 125 उनके समस्त वारिसान की बिना जॉच किये पारित किये जाने व सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिये जाने पर श्रीमती आशा मृतक जसाराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान होने के कारण श्रीमती आशा के हक में भी फौतेदगी नामा0 भरे जाने का कथन किया था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इन कथनों को दरकिनार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। ग्राम खारडा रणधीर के ख0सं0 17 की 44 बीघा भूमि पक्षकारान के पूर्वज जस्साराम की खातेदारी की थी जिनके प्रथम श्रेणी के कुल पांच वारिसान श्रीमती धापू, रावतराम, शंकरलाल, तुलसीराम तथा श्रीमती आशा थी। किन्तु उनके देहान्त उपरान्त श्रीमती आशा के अलावा अन्य के पक्ष में फौतेदगी नामा0 पारित कर दिया। श्रीमती धापू, रावतराम, शंकरलाल तथा तुलसीराम का देहान्त हो चुका है, पुत्री आशा अपीलार्थीया जीवित है। अपीलाधीन नामा0 संख्या 125 पटवारी हल्का के द्वारा बिना किसी प्रकार की कोई जॉच किये केवल मात्र पुत्रों के हक में पारित कर दिया।

रेस्पो0 संख्या 2 व 3, 12 की ओर से निवेदन किया कि अपीलार्थीनी वादग्रस्त भूमि की 1/4 हिस्से की खातेदार/काश्तकार काबिज थी तथा जसाराम के देहान्त उपरान्त उनकी भूमि में उनका हक–हिस्सा निहित हो गया था। उक्त आधार पर उनकी ओर से प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जो स्वीकार की जाकर नामा0 संख्या 125 को निरस्त कर दिया गया ऐसे में तहसीलदार जोधपुर को उक्त नामा0 निरस्त कर देना था परन्तु उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए नामा0 को यथावत रखा। अपीलीय न्यायालय का निर्णय अधिनस्थ न्यायालय के लिये बाध्यकारी था। जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय आरबीजे 391 में प्रतिवेदित किया हुआ है।

रेस्पो0 संख्या 2 व 3, 12 की ओर से निवेदन किया कि विधि अनुसार अपीलाधीन कार्यवाही में आदेश 01 नियम 10 का प्रार्थना पत्र पोषणीय ही नहीं होता है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने विरोधाभासी रूख अपनाते हुए आशापूर्णा बिल्डकॉन लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दिया। इस बाबत राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय 2014 आरआरटी पेज 492 में विस्तृत विवेचन की गई है। इसके अतिरिक्त राजस्व वाद के लम्बित रहते हुए विरासत के नामा0 की कार्यवाही को स्थगित नहीं रखा जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सिद्धान्तों के विपरित, प्रभाव शून्य रूप से पारित नामा0 के निरस्त किये जाने से पश्चातवर्ती नामा0 के प्रभावित होने के आधार पर अपीलार्थीया का आवेदन निरस्त कर विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य नामा0 के पश्चात अन्य स्वीकृत नामा0 प्रभाव शून्य मात्र होते है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीया के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के सम्बन्ध में हस्ताक्षर के बाबत भी विस्तृत रूप से अभिवचन किये थे किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उन अभिवचनों को दरकिनार करते हुए एकतरफा सोच रखकर आदेश पारित कर दिया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

फोटोप्रति दस्तावेज साक्ष्य में ग्राहय नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय को जसाराम के विधिक वारिसान की जॉच कर नामा0 आदेश पारित किया जाना था।

रेस्पो0 संख्या 2 व 3, 12 की ओर से निवेदन किया कि मृतक खातेदार जसाराम की ग्राम खारणा रणधीर में अन्य ख0सं0 114 व 115 की कृषि भूमि थी जिस बाबत भी फौतेदगी नामा0 उनके पुत्रों के नाम पारित कर दिया जिसकी अपीलार्थीया आशा के द्वारा प्रथम अपील जिला कलेक्टर जोधपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिस पर दिनांक 17.6.2013 को आदेश पारित कर स्वीकृत नामा0 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को रिमाण्ड किया गया था, जिसकी जांच स्वयं तहसीलदार जोधपुर द्वारा कर अपीलार्थीनी के पक्ष में नामा0 पारित किया गया था। इस प्रकार पुत्री का पैतृक जायदाद में अपने जन्म से पुत्रों के समान ही हक–हिस्सा होता है जिस सम्बन्ध में न्यायिक निर्णय 2020 आरआरटी पेज 998, डीएनजे रेवेन्यू 2020 पेज 01 महत्वपूर्ण दृष्टान्त है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थीनी के द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तो रेस्पो0 संख्या 2 व 3 को किसी प्रकार की कोई उज्र एतराज व आपत्ति नही है।

रेस्पो0 संख्या 15 के अधिवक्ता ने प्रत्युतर में यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 15 आशापूर्णा बिल्डकॉन लि0 जोधपुर जो इस खसरा के अन्य खातेदार तुलसीराम व बस्तीराम पुत्रगण छेलाराम कुम्हार से उनके हिस्से की 14 बीघा 13.33 बिस्वा भूमि का 12 बीघा 13.33 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के दिनांक 20.12.2011 को ही खरीद कर ली थी तथा उक्त बेचान के अनुसार नामा0 संख्या 323 दिनांक 20.11.2012 को दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया जा चुका है। अपीलार्थीया के द्वारा उक्त खसरान भूमि के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालयों में चाराजोही करने की जानकारी होने से उनके द्वारा तहसीलदार जोधपुर के समक्ष रिमाण्ड प्रकरण दर्ज होने पर प्रार्थना पत्र 01 नियम 10 सीपीसी का पेश करते हुए पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया कि जिस पर उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उन्हें पक्षकार बनाया गया और उनका जवाब प्राप्त किया। उक्त जवाब में उनकी ओर से उपरोक्त तथ्य अंकित कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया था। श्रीमती आशा पुत्री स्व. जसाराम पत्नि भगवानदास लम्बे समय से दिल्ली में निवासरत होने तथा वर्ष 2010 से ही उक्त भूमि में अपना हक–हिस्सा नहीं होना स्वीकार करते हुए नामा0 संख्या 125 में उसका नाम उसकी सहमति से ही दर्ज नहीं किये जाने बाबत कथन करते हुए शपथपत्र निष्पादित किये थे।

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पो0 संख्या 15 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलार्थीया के द्वारा एक राजस्व वाद भी प्रस्तुत कर रखा है जो लम्बित है। श्रीमती आशा जो कि कानूनन भी अपने पिता की खातेदारी वर्ष 1996 में अन्तिम रूप से उसके भाईयों व माता के पक्ष में बंटवाडा हो चुका है, में कोई हक–हिस्सा नहीं रखती है। श्रीमती आशा ने इस खसरा के विधिवत रूप से खरीददार/सहखातेदारों को परेशान करने की नियत से स्वयं के पक्ष में नामा0 करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि उक्त भूमि वर्ष 2010 से लेकर वर्तमान समय में आगे–से–आगे बेचान होकर अन्य व्यक्तियों के द्वारा क्रय की जा चुकी है एवं उनके नाम राजस्व रेकर्ड में जरिये नामा0 दर्ज किये जा चुके है जिनका उल्लेख अपीलाधीन आदेश में हो रखा है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपर के द्वारा इन

सभी तथ्यों का विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 125 को निरस्त करने से उनका प्रभावत उत्तरवर्ती सभी नामा0 पर होने से नामा0 प्रभावित होना माना तथा राजस्व वाद के अन्तिम निर्णय तक उक्त नामा0 संख्या 125 को यथावत रखे जाने के आदेश पारित किये है जो उचित प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थीया की अपील खारिज की जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.02.2019 इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील संख्या 14/2011 में पारित आदेश दिनांक 28.05.2018 के जरिये नामा0 संख्या 125 दिनांक 06.11.1996 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, जोधपुर को प्रतिप्रेषित करते हुए तहसीलदार, जोधपुर को आदेशित किया गया कि मौजा खारडा रणधीर तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 17 रकबा 44 बीघा के सम्बन्ध में स्व0 जसाराम के समस्त विधिक उत्तराधिकारियों की जॉच कर दोनों पक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

तहसीलदार, जोधपुर के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, न्यायालय जोधपुर के द्वारा प्रथम राजस्व अपील में पारित उक्त आदेश की पालना नहीं कर नामा0 संख्या 125 ग्राम खारडा रणधीर को यथावत रखे जाने का निर्णय दिनांक 20.02.2019 को पारित किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार, जोधपुर के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर न्यायालय के द्वारा पारित आदेश की पालना नहीं की है। लिहाजा तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.02.2019 उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलार्थीया की अपील स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, जोधपुर के द्वारा रिमाण्ड प्रकरण संख्या 10/2018 में पारित आदेश दिनांक 20.02.2019 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 18 नवम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर